परन्तु सहवन से उपरोक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज नहीं हो पाई जिससे प्रतिवादीगण 1 से 7 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 से 11 को विक्रय कर दिया गया। जिसके वाद प्रतिवादी संख्या 8 से 10 द्वारा उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 12 को विक्रय कर दिया गया जो कानूनी अधिकार नहीं होने से उक्त प्रतिवादीगण वादीगण को मौके से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अगर विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जाती है, तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होने वाली है। विपक्षीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नही होने के बावजुद भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा कर विक्रय कर रहे है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मौजा सेमड अ पटवार क्षेत्र सेमड के खाता संख्या 183 में वर्णित कुल आराजीयात किता 26 रकबा 1.0750 एवं खाता संख्या 107 में वर्णित कुल आराजीयात किता 15 रकबा 0. 7350 भूमि को विक्रय नहीं करने एवं रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26.11.2020 को पेश हो।

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

26.11.20 फरिकेन उपस्थित/आज अधिवक्ताओं कि हड़ताल/ Covid-19 शोक सभा होने से प्रकरण पूर्व आदेशानुसार वास्ते सुनवाई दिनांक 4.2.21 को पेश हो।

Not Press
प्रेलाम

4/2/21 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता मय प्रार्थीगण उपस्थित हो प्रकरण की कार्यवाही डली स्टट पर ड्रोप करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण द्वारा हस्ताक्षर कर सहमती देने से प्रकरण की कार्यवाही डली स्टट पर ड्रोप की जाकर पत्रावली [illegible] हो कर संख्या [illegible] निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:20:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)